



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267606
CG-DL-E-13112025-267606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4956]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4956]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

का.आ. 5111(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में NH731B के कि.मी. 0.00 से कि.मी.49.2 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिलाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई

हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में NH731B के कि.मी. 0.00 से कि.मी.49.2 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: भदोही		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भदोही					
गांव का नाम: मानिकपुर					
1	447	निजी	कृषि	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
2	448	निजी	कृषि	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
3	449	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
4	451	निजी	कृषि	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
5	456	सामान्य (निजी /सरकारी)	कृषि /नाला	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
6	529	निजी	कृषि	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
7	530	निजी	कृषि	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
गांव का नाम: कंधिया					
8	307	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
9	379	निजी	कृषि	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
10	391	निजी	कृषि	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
गांव का नाम: जमुनीपुर					
11	170	सामान्य (निजी /सरकारी)	कृषि/अकृषक / नाली	0.069 (हेक्टेयर)	0.069
गांव का नाम: लखनपुर उर्फ अभियानपुर					
12	28	सामान्य (निजी	कृषि /अकृषि	0.201 (हेक्टेयर)	0.201

		/सरकारी)	/वीडा		
13	464	सरकारी	आबादी	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
14	465	निजी	कृषि	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
गांव का नाम: बरदहा					
15	620/1118	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
16	912/1110	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
गांव का नाम: धनापुर					
17	31	निजी	कृषि	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
18	61	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
19	62	निजी	कृषि	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
20	63	निजी	कृषि	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
21	64	निजी	कृषि	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
22	66	निजी	कृषि	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
23	7	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
Total					0.71

[फा. सं. : CE-RO/NH(O)/NH-731B/2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2025

S.O.5111 (E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH731B in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 49.2 in the district of Bhadohi in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH731B in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 49.2 in the district of Bhadohi in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: BHADOHI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhadohi					
Village: Manikpur					
1	447	Private	Agriculture	0.013 (Hectare)	0.013
2	448	Private	Agriculture	0.034 (Hectare)	0.034
3	449	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
4	451	Private	Agriculture	0.029 (Hectare)	0.029
5	456	Common (Government / Private)	Agriculture / Nala	0.025 (Hectare)	0.025
6	529	Private	Agriculture	0.007 (Hectare)	0.007
7	530	Private	Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
Village: Kandhiya					
8	307	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
9	379	Private	Agriculture	0.044 (Hectare)	0.044
10	391	Private	Agriculture	0.029 (Hectare)	0.029
Village: Jamunipur					
11	170	Common (Government / Private)	Agriculture /Non-Agriculture/ Drain	0.069 (Hectare)	0.069
Village: Lakhanpur Urf Abhiyanpur					
12	28	Common (Government / Private)	Agriculture / Non-Agriculture / Veeda	0.201 (Hectare)	0.201
13	464	Government	Abadi	0.029 (Hectare)	0.029
14	465	Private	Agriculture	0.032 (Hectare)	0.032
Village: Bardaha					
15	620/1118	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
16	912/1110	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
Village: Dhanapur					
17	31	Private	Agriculture	0.017 (Hectare)	0.017
18	61	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
19	62	Private	Agriculture	0.022 (Hectare)	0.022
20	63	Private	Agriculture	0.042 (Hectare)	0.042
21	64	Private	Agriculture	0.056 (Hectare)	0.056

22	66	Private	Agriculture	0.019 (Hectare)	0.019
23	7	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
Total					0.71

[F.No.: CE-RO/NH(O)/NH-731B/2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director